रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

15/XI/85

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 490] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अक्तूबर 10, 1985/आश्विन 18, 1907
No. 490] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 10, 1985/ASVINA 18, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 10 अक्तूबर 1985

का. आ 744(अ)—जबकि केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले, अर्थात् पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में संगठित हिंसा की घटनाओं के आरोपों की जांच करने के लिए, अधिसूचना सं का. आ 362(अ), तारीख 26 अप्रैल 1985 के अधीन उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया हुआ है ,

और जबकि तारीख 26 अप्रैल 1985 की पूर्वोक्त अधिसूचना में तारीख 3 सितम्बर 1985 की अधिसूचना संख्या का. आ. 648(अ) के द्वारा संशोधन किया गया था ताकि पूर्वोक्त आयोग से यह अपेक्षा की जाए कि वह सार्वजनिक महत्व के कुछ निश्चित मामलों, अर्थात् पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद बोकारो और कानपुर में हुए दंगों की भी जांच करे और रिपोर्ट प्रस्तुत करे ,

और जबकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पूर्वोक्त आयोग, सार्वजनिक महत्व के कुछ निश्चित मामलों, अर्थात् पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद बोकारो तहसील के शेष क्षेत्रों में हुए दंगों और चास तहसील में हुए दंगों की भी जांच करे और रिपोर्ट प्रस्तुत करे

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 की 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 362(अ) तारीख 26 अप्रैल, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना के पैरा 3 की विषय संख्या (i) में "बोकारो और कानपुर में" शब्दों के स्थान पर "बोकारो तहसील में, चास तहसील में और कानपुर में" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० II-14013/28/84-आई.एस (यू.एस.डी.-V)]
एल.एन. गुप्ता, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 1985

S.O. 744 (E): Whereas the Central Government has appointed a Commission of Inquiry presided over by Shri Justice Ranganath Misra, a sitting Judge of Supreme Court vide notification No. S.O. 362(E) dated the 26th April, 1985 for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, the allegations in regard to the incidents of organised violence in Delhi following the assassination of Smt. Indira Gandhi, the late Prime Minister;

And whereas the aforesaid notification dated the 26th April, 1985 was amended, vide notification No. S.O. 648(E) dated the 3rd September, 1985, so as to require the aforesaid Commission to also inquire into and report on certain definite matters of public importance, namely, disturbances at Bokaro and Kanpur following the assassination of Smt. Indira Gandhi, the late Prime Minister;

And whereas the Central Government is of opinion that the aforesaid Commission should also inquire into, and report on, certain definite matters of public importance, namely, the disturbances in the remaining areas of the Bokaro tehsil and the disturbances in the Chas tehsil following the assassination of Smt. Indira Gandhi, the late Prime Minister.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952, (60 of 1952), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 362(E) dated the 26th April 1985, namely :—

In item (i) of paragraph 3 of the said notification, for the words "at Bokaro and Kanpur", the words "in the Bokaro tehsil, in the Chas tehsil and at Kanpur" shall be substituted.

[No. II-14013/28/84-IS(US:DV)]
L.N. GUPTA, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985